

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 90/11-12

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — इस्लामिया उर्दू मिडिल स्कूल फुलवारीशरीफ, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि — लेखा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन (विकास) विभाग, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा०

के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 1.04.06 से 30.6.06 तक

2. श्री राम सागर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 30.6.06 अप० से दि० 07.07.08 तक

3. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 07.07.08 अप० से दि० 31.03.11 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्री नइमुद्दिन, प्रधानाध्यापिका

दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.08.2011

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० के नाम एवं पदनाम — 1. श्रीमती फरहा अदीब, प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम — 1. श्री अविनाश कुमार ,व० अं०— 2

2. श्री अजय कुमार , व० अं०—2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — दि० 05.11.11

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि — दि० 23.11.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस — 6 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र —

1. अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य अंकेक्षण हैं।
2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि — 3286/15.9.1960
3. कार्यालय का कार्यक्षेत्र —

यह विद्यालय द्वारा फलाहुल मुस्लिमीन नामक संस्था द्वारा संचालित एवं वर्ष 1960 में स्थापित की गई थी। यह वर्ष 1970 में भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक घोषित विद्यालय है। इस विद्यालय की प्रस्वीकृति वर्ग vii एवं viii के लिए दिनांक 23.5.91 को प्रस्वीकृत की गई थी। इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतनादि मद में राशि सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त राशि का अंकेक्षण तथा सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों से किया गया।

विद्यालय का संचालन, प्रशासन, अनुरक्षण, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं एवं सुविधाओं का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण विद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है।

4. वित्तीय स्रोत :- अनुदान — अनुदान, विवरण परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।
5. महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :- अनुपालन प्रेषित किया गया है या नहीं — नहीं किया गया है।

बार-बार अनुरोध करने पर भी अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
फलतः अनुपालन से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

6. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :- शून्य।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई है – नहीं।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक व्यय की गई है – नहीं।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था— नहीं।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति – आवश्यकता नहीं थी क्योंकि। रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :-

पदनाम/स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक /कम
प्रधानाध्यापक/ 01	01	—
सहायक शिक्षक /07	07	—

भाग -2

(5) वेतन में मँहगाई भत्ता विलय के कारण मँहगाई +मकान भाड़ा भत्ता मद में अधिक भुगतान राशि रू0 79834.00 वसूली योग्य :-

शिक्षकों के वेतन मद में भुगतीत राशि के अंकेक्षण क्रम में स्पष्ट हुआ कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों को वित्त विभाग के ज्ञापांक 1773 वि0 (2) दिनांक 02.04.05 के निदेश के आलोक में मूल वेतन में मँहगाई वेतन का 50 प्रतिशत भाग जोड़कर बढ़े हुए कुल वेतन पर अनुमान्य दर से मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता की राशि का भुगतान किया गया था। विदित हो कि यह निदेश सरकारी सेवकों के मूल वेतन के 50 प्रतिशत के मँहगाई भत्ता की राशि को दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से वेतन में विलय करने हेतु था। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्या सहित) प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों के लिए देय नहीं था। इन्ही कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला पटना ने अपने पत्रांक 7952 दिनांक 17.09.07 द्वारा इस प्रकार के विलय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला पटना द्वारा लगाये गये रोक के पूर्व ही कुछ माह तक शिक्षकों द्वारा वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता विलय कर लिया गया था तथा उक्त राशि पर अनुमान्य दर से आवास भत्ता एवं मँहगाई भत्ता का भुगतान प्राप्त कर लिया गया था। इस भुगतित राशि के वसूली हेतु जिला शिक्षा पदा0 स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार विलय के कारण मँहगाई भत्ता तथा आवास भत्ता के रूप में राशि रू0 79834.00 का अधिक भुगतान हो गया था। विवरण परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है।

इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि “जिला शिक्षा पदाधिकारी से 50 प्रतिशत विलय के उपरान्त मकान भाड़ा भत्ता एवं मँहगाई भत्ता भुगतान नियमित करने हेतु वार्ता की जा रही है”। अनुपालन संतोषप्रद नहीं है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर से इसकी समीक्षा कर राशि वसूली की दिशा में उचित कार्रवाई की जाये। संगत व्यक्तियों से राशि रू0 79834.00 वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा करा दिया जाये तथा स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

(6) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 6838259.00 आपत्तिन्तर्गत :-

वेतनादि मद में भुगतान राशि के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन वर्ष में वेतनादि मद में राशि रू0 6838259.00 का भुगतान विभिन्न शिक्षकों को किया गया था। परन्तु उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को नहीं भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः उक्त नियमावली के नियम 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत अनुदानों, अंशदानों एवं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, विशिष्ट सेवाओं एवं निर्माणों आदि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देने वाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करायेगें या करेंगें।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने योग्य राशि का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ‘घ’ पर अंकित है। राशि रू0 6838259.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने तक आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है। भविष्य में भी ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। तथा इस दिशा में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

भाग— 3 (सुझावात्मक)

(7) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :-

1. निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये— वित्त विभाग के ज्ञापांक ए0 आर0 – 06—19/53—29 वि0 दिनांक 1.6.53 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक पंजी संधारित किया जाये।
2. रोकड़ बही की त्रुटियाँ — रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित दिया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (iii) के अनुरूप रोकड़ बही के योग एवं संतुलन की जाँच का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

3. अनुदान हेतु अलग आगत पंजी संधारित किया जाये विद्यालय द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त चेकों के लिए एक आगत पंजी संधारित किया जाये जिसमें अनुदान प्राप्ति का स्रोत, अनुदान का माध्यम (चेक या ड्राफ्ट) का विवरण, प्राप्ति तिथि, अनुदान राशि आदि का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाये। इस पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0- 2

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेख

(क) प्रस्तुत अभिलेख :-

1. रोकड़ पुस्त (वेतन मद) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
3. भविष्य निधि कटौती पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
4. अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
5. वेतन पासबुक (शिक्षक) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
6. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
7. छात्र उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
8. बचत खाता (भविष्य निधि) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
9. प्री-पोजीशन स्टेटमेंट वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
10. नियुक्ति अनुमोदन संचिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
11. बकाया वेतन स्वीकृत्यादेश संचिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

वर्ष 06-07 से 10-11

1. विद्यालय प्रस्वीकृति मूल पत्र
2. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र (मूल)
3. अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में घोषणा पत्र
4. शिक्षकों का वरीयता सूची
5. सेवा पुस्त
6. प्रोन्नति, सेवा निवृत्ति से संबंधित संचिका

परिशिष्ट 'ख'

**(कंडिका 01(ठ) iv से संबंधित)
आय एवं व्यय विवरणी**

क्र० सं०	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिक्य	बचत	प्राप्ति का चेक सं० एवं तिथि एवं राशि विवरण	अभियुक्ति
1	2006-07	वेतन भविष्य निधि	702122.00 33121.00	702122.00 33121.00	—	—	422887 दि० 3.6.06 रू० 369438.00 वेतन/ 422888 दि० 3.6.06 रू० 10328.00 भ० नि० 422889 दि० 3.6.06 रू० 7914.00 भ० नि० 161231 दि० 18.9.06 रू० 73940.00 वेतन/ 161232 दि० 18.9.06 रू० 2076.00 1612515 दि० 29.11.06 रू० 17404.00 वेतन/ 1612314 दि० 29.11.06 रू० 4582.00 भ० नि० 161260 दि० 02.02.07 रू० 14407.00 वेतन/ 1612559 दि० 2.2.07 रू० 6096.00 1612558 दि० 2.2.07 रू० 167303.00 वेतन/ 161261 दि० 2.2.07 रू० 435.00 भ० नि० 161264 दि० 23.2.07 रू० 59630.00 वेतन/ 161265 दि० 23.2.07 रू० 1690.00	
2	2007-08	वेतन भविष्य निधि	918317.00 72933.00	918317.00 72933.00	—	—	070961 दि० 27.4.07 रू० 769216.00 वेतन/ 070962 दि० 27.4.07 रू० 57129.00 भ० नि० 192541 दि० 5.12.07 रू० 149101.00 वेतन/ 192542 दि० 5.12.07 रू० 15804.00 भ० नि०	
3	2008-09	वेतन भविष्य निधि	1806285.00 183888.00	1806285.00 183888.00	—	—	192582 दि० 8.4.08 रू० 912351.00 वेतन/ 192583 दि० 8.4.08 रू० 95189.00 भ० नि० 092886 दि० 9.3.09 रू० 893934.00 वेतन/ 092887 दि० 9.3.09 रू० 88699.00 भ० नि०	
4	2009-10	वेतन भविष्य निधि	1325413.00 129362.00	1325413.00 129362.00	—	—	980462 दि० 4.3.10 रू० 1104754.00 वेतन 107690.00 भविष्य निधि 331031 दि० 25.3.10 रू० 220659.00 वेतन 331041 दि० 25.3.10 रू० — — 21672.00	
5	2010-11	वेतन भविष्य निधि	1558222.00 108596.00	1558222.00 108596.00	—	—	438421 दि० 15.3.11 वेतन — 1290720.00 भ० नि० 90830.00 437133 दि० 25.3.11 — वेतन— 267502.00 भ० सं०— 17766.00	

परिशिष्ट 'ख'
आय एवं व्यय विवरणी

क्र० सं०	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिव्यय	बचत	प्राप्ति का चेक सं० एवं तिथि	अभियुक्ति
1	2006-07	वेतन भविष्य निधि	789064.00 38700.00	789064.00 38700.00	—	—	066823 दि० 5.4.07 066824 दि० 5.4.07	789064.0 38700.00
2	2007-08	वेतन भविष्य निधि	577502.00 33300.00	577502.00 33300.00	—	—	192554 दि० 30.3.08 192555 दि० 30.3.08	577502.00 33300.00
3	2008-09	वेतन भविष्य निधि	638523.00 36000.00	638523.00 36000.00	—	—	092882 दि० 9.3.09 092883 दि० 9.3.09	638523.00 36000.00
4	2009-10	वेतन भविष्य निधि	688204.00 48000.00	688204.00 48000.00	—	—	शून्य	शून्य
5	2010-11	वेतन भविष्य निधि	737086.00 67000.00	737086.00 67000.00	—	—	437049 दि० 17.3.11 437141 दि० 25.3.11	737086.00 67000.00

3430379.00+223000.00= 3653379.00

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका '5' से सम्बन्धित

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	माह	भुगतीत राशि					भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि			वसूली योग्य राशि
			मूल वेतन	मंह० वेतन 50 प्रति०	मं० भत्ता 24प्रति० / 29 प्रति०	मकान भत्ता 15 प्रति०	कुल	मूल वेतन	मंह० भत्ता 74प्रति० / 79 प्रति०	मकान भत्ता 15 प्रति०	कुल	मंह० भत्ता	मकान भत्ता	योग	
1	श्री नईमुद्धीन प्रधानाध्यापक 21%-29%	मार्च 06-अप्रैल 06 तक मई 06-जून 06 जुलाई 06 से दिसम्बर 06 तक	9000.00 9250.00 9250.00	4500.00 4625.00 4625.00	3240.00 3330.00 4024.00	2025.00 2081.00 2081.00	18765.00 19286.00 19980.00	9000.00 9250.00 9250.00	6660.00 6845.00 7308.00	1350.00 1388.00 1388.00	17010.00 17483.00 17946.00	1080.00 1110.00 1341.00	675.00 693.00 693.00	1755.00 1803.00 2034.00	1755x2=3510.00 1803x2=3606.00 <u>2034x6=12204.00</u> 19320.00
2	श्री एस० एम० तैफेल अहमद सा० शि० 21%-29%	मार्च 06 से मई 06 जून 06 से जु० 06 दिसम्बर 06	5750.00 5875.00 5875.00	2875.00 2938.00 2938.00	2070.00 2115.00 2556.00	1294.00 1322.00 1322.00	11989.00 12250.00 12691.00	5750.00 5875.00 5875.00	4255.00 4348.00 4641.00	863.00 881.00 881.00	10868.00 11104.00 11397.00	690.00 705.00 853.00	431.00 441.00 441.00	1121.00 1146.00 1294.00	1121x3=3363.00 1146x1=1146.00 <u>1294x6=7764.00</u> 12273.00
3	मो० अबीद हुसैन सा० शि० 21%-29%	मार्च 06-अप्रैल 06 तक मई 06-जून 06 जुलाई 06 से दिसम्बर 06 तक	6050.00 6200.00 6200.00	3025.00 3100.00 3100.00	2178.00 2232.00 2697.00	1361.00 1395.00 1395.00	12614.00 12927.00 13392.00	6050.00 6200.00 6200.00	4477.00 4588.00 4898.00	908.00 930.00 930.00	11435.00 11718.00 12028.00	726.00 744.00 899.00	453.00 465.00 465.00	1179.00 1209.00 1364.00	1179x2=2358.00 1209x2=2418.00 <u>136x6=8184.00</u> 12960.00
4	श्रीमती फरहाना खातुन सा० शि० 21%-29%	मार्च 06-अप्रैल 06 तक मई 06-जून 06 जुलाई 06	6050.00 6200.00	3025.00 3100.00	2178.00 2232.00	1361.00 1395.00	12614.00 12927.00	6050.00 6200.00	4477.00 4588.00	908.00 930.00	11435.00 11718.00	726.00 744.00	453.00 465.00	1179.00 1209.00	1179x2=2358.00 1209x2=2418.00

		से दिसम्बर 06 तक	6200.00	3100.00	2697.00	1395.00	13392.00	6200.00	4898.00	930.00	12028.00	899.00	465.00	1364.00	$1364 \times 6 = 8184.00$ 12960.00
5	मो० नसीम अंसारी स० शि० 21%- 29%	मार्च 06— अप्रैल 06 से जून 06 जुलाई 06 से दिसम्बर 06 तक	5750.00	2875.00	2070.00	1294.00	11989.00	5750.00	4255.00	863.00	10868.00	690.00	431.00	1121.00	$1121 \times 1 = 1121.00$ $1146 \times 3 = 3438.00$ $1294 \times 6 = 7764.00$ 12323.00
6	श्रीमती तलत प्रवीण स० शि० 21%- 29%	मार्च 06 से जून 06 तक जुलाई 06 से नवम्बर 06 तक दिसम्बर 06	4750.00	2375.00	1710.00	1069.00	9904.00	4750.00	3515.00	713.00	8978.00	570.00	356.00	926.00	$926 \times 4 = 3704.00$ $1044 \times 5 = 5220.00$ $1074 \times 1 = 1074.00$ 9998.00

कुल — 79834.00

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका '6' से सम्बन्धित

मद	अनुदान प्राप्ति 2006-07	अनुदान प्राप्ति 2007-08	अनुदान प्राप्ति 2008-09	अनुदान प्राप्ति 2009-10	अनुदान प्राप्ति 2010-11	कुल प्राप्त अनुदान
वेतन	702122.00	918317.00	1806285.00	1325413.00	1558222.00	6310359.00
भविष्य निधि	33121.00	72933.00	183888.00	129362.00	108596.00	527900.00

योग- 6838259.00

परिशिष्ट 'ड'

कंडिका 07 'iv' से सम्बन्धित

भविष्य निधि की राशि जो बचत खाते में जमा रखी गई है।

क्र० सं०	शिक्षकों का नाम	बैंक / डाकघर का नाम	बचत खाता सं०	वर्षवार कटौती राशि					योग	अभ्युक्ति
				2006—07	2007—08	2008—09	2009—10	2010—11		
1	श्री नइमुद्दीन प्रधानाध्यापक	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फुलवारीशरीफ पटना	5914	11107.00	23182.00	54305.00	49400.00	30875.00	168869.00	
2	श्री तुफैल अहमद स० शि०	“	5915	3722.00	6785.00	22875.00	14925.00	15225.00	63532.00	
3	श्री मो० आबिद हुसैन स० शि०	“	5916	4960.00	17666.00	28655.00	15900.00	27510.00	91691.00	
4	श्रीमती फरहाना खातून स० शि०	“	5917	6210.00	14666.00	18912.00	10340.00	10570.00	60698.00	
5	मो० नसीम अंसारी स० शि०	“	5918	1026.00	6979.00	22975.00	14975.00	—	45955.00	

6	श्रीमती तलत परवीन स० शि०	“	6211	6096.00	5559.00	12206.00	8043.00	8244.00	40148.00	
7	मो० रजिउल हक स० शि०	“	6338	—	1096.00	12206.00	8043.00	8244.00	29589.00	
8	श्रीमती फराह अदीबा	“	7686	—	—	11754.00	7736.00	7928.00	27418.00	
			33121	72933	183888	129362	108596.00	527900.00		

